भारतीय खाद्य निगम
Food Corporation of India

Head Quarters, 16-20, Barakhamba Lane
New Delhi-110001.

INVITATION OF OFFER FOR SHORT TERM LOAN

File No: - E/495904/FCI HQ-Fund012(15)/3/2026-FUNDS Dated:28.07.2026

Tender No. 1(112)/2026-CM/STL

FCI intends to raise Short Term Loan of Rs.50,000 crore (with green shoe option of additional Rs.25,000 crore), as and when required, from Scheduled Banks for 03 months maturity. In no case outstanding borrowings through STL under this tender shall exceed Rs. 75,000 crore at any point of time. For more details, visit 'https://eprocure.gov.in/eprocure/app'and 'https://fci.gov.in/tender'. The last date of submission of offer is 18.08.2026 (11:00 AM).

The tender schedule period is as under:

1	Date of advertisement in Business Standard (Hindi & English) in all editions on all India basis.	28 Jul 2026
2	Publishing date on CPP portal	28 Jul 2026 (11:00 AM)
3	Document download start date	28 Jul 2026 (11:00 AM)
4	Bids Submission start date	28 Jul 2026 (11:00 AM)
5	Document download end date	18 Aug 2026 (11:00 AM)
6	Bids submission end date	18 Aug 2026 (11:00 AM)
7	Bids opening date	19 Aug 2026 (11:00 AM)

Chief General Manager (Funds)
Telephone No.- 011-43527592

भारतीय खाद्य निगम

Food Corporation of India

Head Quarters, 16-20, Barakhamba Lane
New Delhi-110001.

File No: - E/495904/FCI HQ-Fund012(15)/3/2026-FUNDS Dated: 28.07.2026

Tender No. 1(112)/2026-CM/STL

Food Corporation of India is a body corporate established under the Food Corporation Act 1964, to implement the Food policies of the Government of India. FCI is fully owned by GOI having paid up capital of Rs.20924.02 Crore.

To meet out its short term fund requirement for cash flow mismatch in procurement & distribution of food grains, the Corporation is considering raising Short term loans from the **Scheduled Banks only** for 03 months tenure. The STL being availed by the FCI shall be

- i) On unsecured basis
- i) GOI guarantee of Rs.6,000 Crore available for Food Credit to FCI will not be available for STLs and STLs will be over and above the assessed bank finance.
- ii) Bidders will have no recourse to Food Credit limit of Rs. 6,000 Crore sanctioned by Food Credit Consortium.

The terms and conditions governing the bids are attached as per Annexure-I. The Banks fulfilling the requisite prescribed criteria are required to submit their bids through **electronic mode on CPP Portal (URL: http//eprocure.gov.in)**. Last date of online submission of bids is 18.08.2026 on or before 11:00 AM. Instruction for online submission of bids is attached at Annexure- II.

The online bids of the bidders would be opened on the next working day i.e. on 19 Aug 2026 at 11:00 AM by a committee of FCI Officers at FCI Headquarters, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001. The authorized representative of the Bank may, if so desires be present at the time of opening of the Bids.

All decision in this regard shall be at the discretion of the Corporation and the Corporation may/may not assign any reason for acceptance and rejection of any or all the bids. Bids received after the scheduled time and date, mentioned above, shall not be entertained.

Chief General Manager (Funds)

Annexure I

Term & Conditions governing Bids for Short Term Loans

(i) Only Scheduled Banks are eligible to quote.

(i) For participation in the Tender to be called by FCI, online bid submission is mandatory and it is required to submit soft copy of their bids electronically on the CPP Portal in the prescribed proforma, using valid Digital Signature Certificate.

(ii) Minimum quote should be for an amount of Rs.250 crore.

(iii) The tender is for availing STL of **Rs.50,000 crore (with green shoe option of additional Rs.25,000 crore)** and in no case outstanding borrowings, at any point of time, through STL under this tender will exceed Rs.75,000 crore.

(iv) Bullet payment of the short term loan would be made after end of the tenure.

(v) Interest on all outstanding Short Term Loan as on last date of any month would be served on the 1st day of the subsequent month. However, if the 1st day of the next month on which interest payment becomes due is a bank holiday, then interest upto last day of the previous month would be paid on the immediate next bank-working day without any additional interest on interest liability on the FCI for the intermittent holiday.

(vi) If maturity of any tranche falls on a bank holiday than payment of principle along with interest would be paid on the immediate next bank-working day with additional interest for the intermittent holiday.

(vii) Neither the Government of India Guarantee nor any other security is available for this short term loan and this would be an unsecured one.

(viii) **Offer should remain valid upto 30.11.2026.**

(ix) The loan has to be disbursed in installments as per requirement of FCI, which will be communicated after acceptance of offer. Disbursement of loans from the Banks against the instant tender shall be availed upto 30.11.2026 depending upon requirement of funds by the FCI. The Banks

participating in the bid are required to keep their sanction valid till 30.11.2026.

(x) The Corporation would provide copy of Board resolution along with the letter of acceptance, of offer/ Sanction.

(xi) No conditional bid would be accepted.

(xii) The Corporation reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason.

(xiii) The Corporation reserves the right to make early payment of the short term loans at its discretion which would not attract any penal charges.

(xiv) Banks must ensure that the short-term loan limit offered by them is revolving in nature i.e. Corporation can avail short term loans from them if their outstanding loan on the date of request is less than the quantum originally offered irrespective of disbursements and repayments already done.

For instance, a bank has offered Rs. 5,000 crores. Out of this, Corporation has already availed Rs. 3,000 crores and repaid Rs. 2,000 crores. In such case, outstanding loan from this bank is Rs. 1,000 crore hence Corporation can avail Rs. 4,000 crores from this bank if interest rate is lowest as on date of availment.

(xv) Quotes and all other information are provided in Indian Rupee.

(xvi) Banks have option to offer rates linked to MCLR, Repo or Treasury bill rates

(A) For Banks Quoting at MCLR or Repo Linked Rate: - Banks have the option to quote a fixed or a floating rate which shall be linked with the MCLR of the Bank or prevailing Repo Rate published by RBI in its Bi-monthly monetary policy plus the spread over MCLR/Repo Rate, if they so desire, to arrive at the effective interest rate at which the offer for STL can be extended to FCI.

(B) For Banks Quoting at Treasury Bill Linked rates: - Banks have to quote **fixed rates**, linked to T-Bills. The relevant benchmark for banks who wish to offer STL linked to T-bill would be T-bill rate published **in Financial Benchmark India Pvt. Ltd (FBIL)** site on the immediately preceding business day of the loan

disbursement date. If the FBIL rate on immediately preceding date is not available, the latest rate available on FBIL site prior to such preceding day shall be taken as relevant rate.

In cases where the bank's internal guidelines allow a T-Bill rate not aligned with the rate published on FBIL website, the bank may quote such a rate, provided it is fixed and publicly available. The T-Bill benchmark to which the quoted T-Bill rate is linked must be clearly stated along with the URL/web address of the said public domain in Column 8 of the BOQ. For such cases, the latest rate available in the public domain shall be considered as the relevant rate. In the absence of any remark in this regard, rates quoted on T-Bill shall be treated as linked to FBIL.

The bank should, however, quote its rate linked to only one benchmark i.e. MCLR, Repo Rate or Treasury Bills rate and effective rate would be worked out by FCI taking into account spread over applicable benchmarks i.e. MCLR, Repo Rate or Treasury Bills rate. Bid of the Banks quoting more than one rate would be treated as an invalid bid.

(xviii) The Banks may clearly indicate in column 7 of BOQ while submitting bid whether the offered rate is a fixed rate or floating rate failing which the offered loan would be treated as a floating rate loan. The meaning of floating & fixed rates shall be governed as per clarification given herein under, unless interpreted differently by the banks & clearly specified in the column 8 of the BOQ.

1) **Floating Rate**:-With any change in the MCLR of the Bank or Repo Rate, the effective interest rate for the loan will also change accordingly in respect of Banks who have quoted a floating rate. In other words, the Banks offering a floating rate would be required to reset the MCLR/Repo Rate for the unavailed and disbursed loan against the tender with any change in the relevant benchmark MCLR/Repo Rate.

2) **Fixed Rate: -** The effective interest rate (MCLR/Repo/Treasury Bill Rate + Spread) in case of loan offered at fixed rate will be freezed for entire tenure of the loan at prevailing MCLR/Repo/Treasury Bills Rate on the date of each disbursement of Loan. In other words, if the disbursement takes place in tranches, the effective interest rate will be arrived on prevalent MCLR/Repo/Treasury Bill Rate on the date of disbursement of that

particular tranche and will be fixed for entire tenure. Thus the interest rate in each tranche may vary if MCLR/Repo/Treasury Bill Rate changes. However, if the internal guideline of the bank submitting their bid is contrary to above interpretation, same may clearly be stated in Column 8 of BOQ. In absence of any remark in this regard, interpretation of 'fixed rate' shall be treated as per the above stipulation.

(xix) The Bank may indicate applicable MCLR/Repo/Treasury Bills Rate in respective lines under column 4 of the BOQ.xls file. Banks willing to quote spread, if any, may indicate the same under column 5 of the BOQ .xls file.

(xx) 3 Month maturity shall mean that the loan shall have a maturity period of 3 calendar months. For instance, 3 month maturity loan disbursed on 05.06.2021 shall mature on 04.09.2021. Principal repayment of above loan would be made on 05.09.2021. However, if the internal guideline of the bank submitting their bid is contrary to above interpretation, a deviation in maturity date upto 2 days from scheduled maturity date can be considered, provided the same is clearly stated in BOQ under the Column 9. In absence of any remark in this regard, principal repayment shall be made as per above stipulation.

(xxi) If a Bank, whose offer has been accepted fails to disburse the loan amount then FCI reserve the right to avail the undisbursed loan amount from any other Bank at the risk & cost of the defaulting bank and any loss suffered by FCI on this account shall be recovered from the defaulting bank.

(xxii) The Corporation reserves the right to negotiate with any tenderer to bring down the effective interest rate within the guidelines of RBI issued from time to time.

(xxiii) In case bid opening day is holiday, Bid will open on next working day at predefined time.

(xxiv) In case of Repo Rate linked floating loan, Reset date will be applicable from the effective date as announced by RBI.

(xxv) All Bank borrowings under short term loan are rated by M/s India Ratings & Research Ltd as IND A1+.

(xxvi) The bids are being invited as per the provisions of Public Procurement (Preference to Make in India), order 2017 dated 15.06.2017 read with subsequent amendments and updates issued from time to time and same is to be abided by the bidders, to the extent applicable, failing which, the bid will become void.

(xxvii) The bidder should ensure that Provisions of Rule 144 (xi) of the General Financial Rule (GFR), 2017 with subsequent amendments and updates are followed to the extent applicable and in case of any failure on this account, bid will become void.

(xxviii) <u>FORCE MAJEURE</u>

Any party to the agreement shall be entitled to suspend or excuse performance of its obligations under this Agreement to the extent such performance is impeded by any event or circumstances which are beyond the reasonable control of the affected Party; which such party could not have prevented or reasonably overcome with the exercise of reasonable skill and care in relation to the implementation of this Agreement; which do not result from the negligence of such party or the failure of such Party to perform its obligations hereunder; which are of an incapacitating nature and of severe magnitude and have a material adverse effect on the affected party's obligations under this Agreement. The Party claiming to be affected by the such event shall, as soon as reasonably practicable after becoming aware of the Force Majeure, give notice of such Force Majeure to the other Party in writing, including the dates of commencement and estimated cessation of such Force Majeure and its effects on the parties obligation under the Agreements.

(xxix) <u>LAWS GOVERNING THE CONTRACT AND DISPUTE RESOLUTION</u>

The agreement will be governed by the Laws of India for the time being in force. Any dispute arising out of this agreement will be settled in the Court of law of competent jurisdiction. The Courts in Delhi shall have exclusive jurisdiction to adjudicate the disputes arising under the Contract. The disputes between CPSEs etc. shall be settled through Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD) set up by DPE on vide OM No. 4(1)2013-DPE(GM)/FTS-1835 dt. 22nd May, 2018 read with subsequent amendments, if any. The said OM and its amendments may be read as part and parcel of the agreement

Instructions for Online Bid Submission:

The tender document has been published on the Central Public Procurement Portal (URL:**http://eprocure.gov.in**).
The bidders are required to submit soft copies of their bids electronically on the CPP Portal, using valid Digital Signature Certificates. The instructions given below are meant to assist the bidders in registering on the CPP Portal, prepare their bids in accordance with the requirements and submitting their bids online on the CPP Portal.

More information useful for submitting online bids on the CPP Portal may be obtained at: https://eprocure.gov.in/eprocure/app.

REGISTRATION

1) Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal (URL: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) by clicking on the link "Click here to Enroll" on the CPP Portal is free of charge.

2) As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign a password for their accounts.

3) Bidders are advised to register their valid email address and mobile numbers as part of the registration process. These would be used for any communication from the CPP Portal.

4) Upon enrolment, the bidders will be required to register their valid Digital Signature Certificate (Class II or Class III Certificates with signing key usage) issued by any Certifying Authority recognized by CCA India (e.g. Sift' / TCS / nCode / eMudhra etc.), with their profile.

5) Only one valid DSC should be registered by a bidder. Please note that the bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSC's to others which may lead to misuse.

6) Bidder then logs in to the site through the secured log-in by entering their user ID / password and the password of the DSC / e-Token.

SEARCHING FOR TENDER DOCUMENTS

1) There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, organization name, location, date, value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as organization name,

form of contract, location, date, other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.

2) Once the bidders have selected the tender, they may download the required documents / tender schedules. The tender can be moved to the respective 'My Tenders' folder. This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS / e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.

3) The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender, in case they want to obtain any clarification / help from the Helpdesk.

PREPARATION OF BIDS

1) Bidder should take into account any corrigendum published on the tender document before submitting their bids.

2) Please go through the tender advertisement and the tender document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid.

3) Bidder, in advance, should get ready the bid documents to be submitted as indicated in the tender document / schedule and generally, they can be in PDF / XLS / RAR / DWF formats. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option.

4) To avoid the time and effort required in uploading the same set of standard documents which may be required to be submitted as a part of every bid, a provision of uploading documents has been provided to the bidders. Bidders can use "My Space" area available to them to upload such documents. These documents may be directly submitted from the "My Space" area while submitting a bid, and need not be uploaded again and again. This will lead to a reduction in the time required for bid submission process.

SUBMISSION OF BIDS

1) Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that he/she upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time. Bidder will be responsible for any delay due to other issues.

2) The bidder has to digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the tender document.

3) A standard BOQ format has been provided with the tender document to be filled by all the bidders. Bidders are requested to note that they should necessarily submit their financial bids in the format provided and no other format is acceptable. Bidders are required to download the BOQ file, open

it and complete the white colored (unprotected) cells with their respective financial quotes and other details (such as name of the bidder). No other cells should be changed. Once the details have been completed, the bidder should save it and submit it online, without changing the filename. If the BOQ file is found to be modified by the bidder, the bid will be rejected.

4) The serve time (which is displayed on the bidders' dashboard) will be considered as the standard time for referencing the deadlines for submission of the bids by the bidders, opening of bids etc. The bidders should follow this time during bid submission.

5) All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128-bit encryption technology. Data storage encryption of sensitive fields is done.

6) The uploaded tender documents become readable only after the tender opening by the authorized bid openers.

7) Upon the successful and timely submission of bids, the portal will give a successful bid submission message & a bid summary will be displayed with the bid no. and the date & time of submission of the bid with all other relevant details.

8) The bid summary has to be printed and kept as an acknowledgement of the submission of the bid. This acknowledgement may be used as an entry pass for any bid opening meetings.

ASSISTANCE TO BIDDERS

1) Any queries relating to the tender document and the terms and Conditions contained therein should be addressed to Sh. K. K. Paliwal, Chief General Manager (Funds) Ph. 011-43527592.

2) Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24x7 CPP Portal Helpdesk. The contact number for the helpdesk is 0120-4001002, 0120-4001005, 0120- 4493395.

भारतीय खाद्य निगम
Food Corporation of India
Head Quarters,16-20,Barakhamba Lane
New Delhi-110001.

अल्पावधि ऋण के लिए प्रस्ताव का आमंत्रण

फ़ाइल सं:- :- E/495904/FCI HQ-Fund012(15)/3/2026-FUNDS दिनांक: 28.07.2026

निविदा संख्या 1(112)/2026-सीएम/एसटीएल

भारतीय खाद्य निगम, आवश्यकता पड़ने पर, अनुसूचित बैंकों से 03 माह की परिपक्वता अवधि के लिए अल्पावधि ऋण के माध्यम से रु. 50,000 करोड़ की राशि (अतिरिक्त रु. 25,000 करोड़ तक के ग्रीन शू ऑप्शन के साथ) जुटाने का इच्छुक है। इस निविदा के अंतर्गत, किसी भी क्षण, एसटीएल के माध्यम से बकाया उधार **रु. 75,000 करोड़** से अधिक नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए 'https://eprocure.gov.in/eprocure/app' और 'https://fci.gov.in/tender' पर जाएं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 18.08.2026 (11 पूर्वाह्न) है।

निविदा अनुसूची की अवधि इस प्रकार है:

1	अखिल भारतीय आधार पर सभी संस्करणों में बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी और अंग्रेजी) में विज्ञापन की तिथि।	28 जुलाई 2026
2	सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशन की तिथि	28 जुलाई 2026 (11:00 पूर्वाह्न)
3	दस्तावेज़ डाउनलोड करने की प्रारंभ की तिथि	28 जुलाई 2026 (11:00 पूर्वाह्न)
4	बोली जमा करने की आरंभ तिथि	28 जुलाई 2026 (11:00 पूर्वाह्न)
5	दस्तावेज़ डाउनलोड की समाप्ति तिथि	18 अगस्त 2026 (11:00 पूर्वाह्न)
6	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	18 अगस्त 2026 (11:00 पूर्वाह्न)
7	बोली खुलने की तिथि	19 अगस्त 2026 (11:00 पूर्वाह्न)

मुख्य महाप्रबंधक (निधि)
दूरभाष नं.- 011-43527592

भारतीय खाद्य निगम

Food Corporation of India

Head Quarters,16-20, Barakhamba Lane
New Delhi-110001.

फ़ाइल सं:- E/495904/FCI HQ-Fund012(15)/3/2026-FUNDS दिनांक: 28.07.2026

निविदा संख्या 1(112)/2026-सीएम/एसटीएल

भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार की खाद्य नीतियों को लागू करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत स्थापित एक निगमित निकाय है। भाखानि, जिसकी पूंजी प्रदत 20924.02 Crore रुपये है, पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है।

खाद्यान्नों की खरीद और वितरण में बेमेल नकदी प्रवाह के लिए अपनी अल्पकालिक निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, निगम केवल 03 माह के कार्यकाल के लिए अनुसूचित बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेने पर विचार कर रहा है। भाखानि द्वारा प्राप्त किया जा रहा एसटीएल इस प्रकार होगा:

i) अप्रतिभूत आधार पर
ii) भारतीय खाद्य निगम को खाद्य ऋण के लिए उपलब्ध 6,000 करोड़ रुपये की भारत सरकार की गारंटी एसटीएल के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और एसटीएल निर्धारित (assessed) बैंक वित्त के अलावा होंगे।
iii) बोलीदाताओं के पास फूड क्रेडिट कंसोर्टियम द्वारा स्वीकृत 6,000 करोड़ रुपये की खाद्य ऋण सीमा का कोई साधन नहीं होगा।

बोलियों को नियंत्रित करने वाले निबंधन और शर्तें अनुलग्नक -I के अनुसार संलग्न हैं। किसी भी विवाद/गलत व्याख्या के मामले में, निविदा दस्तावेज के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा। अपेक्षित निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले बैंकों को **सीपीपी पोर्टल (यूआरएल: http//eprocure.gov.in) पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम** से अपनी बोलियां जमा करनी होंगी। बोलियों को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 18.08.2026- 11:00 पूर्वाह्न बजे या उससे पहले है। ऑनलाइन बोलियां जमा करने का निर्देश अनुलग्नक -II में संलग्न है।

बोलीदाताओं की ऑनलाइन बोलियां अगले कार्य दिवस यानी 19 अगस्त 2026 को 11:00 पूर्वाह्न बजे भाखानि मुख्यालय, 16-20, बाराखंभा लेन, नई दिल्ली -110001 में एफसीआई अधिकारियों की एक समिति द्वारा खोली जाएंगी। बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि चाहें तो बोलियां खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

इस संबंध में सभी निर्णय निगम के विवेक पर होंगे और निगम किसी या सभी बोलियों को स्वीकार करने और अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बता सकता है। ऊपर उल्लिखित निर्धारित समय और तारीख के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

मुख्य महाप्रबंधक (निधि)

अल्पावधि ऋण के लिए बोलियों को नियंत्रित करने वाली निबंधन और शर्तें

(i) केवल अनुसूचित बैंक ही कोट (quote) करने के पात्र हैं।

(ii) भाखानि द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदा में भाग लेने के लिए, ऑनलाइन बोली जमा करना अनिवार्य है और वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुए, निर्धारित प्रोफार्मा में सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी जमा करना आवश्यक है।

(iii) न्यूनतम दर रु. 250 करोड़ की राशि के लिए होना चाहिए।

(iv) निविदा रु. 50,000 करोड़ की राशि (अतिरिक्त रु. 25,000 करोड़ तक के ग्रीन शू ऑप्शन के साथ) प्राप्त करने के लिए है। और इस निविदा के अंतर्गत, किसी भी क्षण, एसटीएल के माध्यम से उधार, रु. 75,000 करोड़ से अधिक बकाया नहीं होगा।

(v) अल्पावधि ऋण का त्वरित भुगतान कार्यकाल की समाप्ति के बाद किया जाएगा।

(vi) किसी भी महीने की अंतिम तारीख को सभी बकाया अल्पावधि ऋण पर ब्याज बाद के महीने की पहली तारीख को दिया जाएगा। हालांकि, यदि अगले महीने का पहला दिन, जिस दिन ब्याज भुगतान देय हो, बैंक अवकाश है, तो पिछले महीने के अंतिम दिन तक का ब्याज तत्काल अगले बैंक-कार्य दिवस पर एफसीआई पर ब्याज देयता पर अस्थायी अवकाश के लिए बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के भुगतान किया जाएगा।

(vii) यदि किसी किश्त की परिपक्वता बैंक अवकाश के दिन आती है तो ब्याज के साथ मूलधन का भुगतान तत्काल अगले बैंक कार्य दिवस पर आंतरायिक (intermittent) अवकाश के लिए अतिरिक्त ब्याज के साथ किया जाएगा।

(viii) इस अल्पावधि ऋण के लिए न तो भारत सरकार की गारंटी और न ही कोई अन्य सिक्योरिटी उपलब्ध है और यह एक अप्रतिभूत ऋण होगा।

(ix) **प्रस्ताव 30.11.2026, तक वैध है।**

(x) भाखानि की आवश्यकता के अनुसार ऋण किश्तों में वितरित किया जाना है, जिसे प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद सूचित किया जाएगा। भाखानि द्वारा धन की आवश्यकता के आधार पर बैंकों से तत्काल निविदा के लिए ऋण का वितरण 30.11.2026 तक किया जाएगा।

बोली में भाग लेने वाले बैंकों को 30.11.2026 तक अपनी मंजूरी को वैध रखना आवश्यक है।

(xi) निगम प्रस्ताव/स्वीकृति के स्वीकृति पत्र के साथ बोर्ड के संकल्प की प्रति उपलब्ध कराएगा।

(xii) कोई सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।

(xiii) निगम बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(xiv) निगम अपने विवेक से अल्पावधि ऋणों का शीघ्र भुगतान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिस पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगेगा।

(xv) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा दी जाने वाली अल्पकालिक ऋण सीमा प्रकृति में रिवाल्विंग है अर्थात निगम उनसे अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर सकता है यदि अनुरोध की तिथि पर उनका बकाया ऋण संवितरण पहले से ही किया हुआ है और चुकौती के बावजूद मूल रूप से दी जाने वाली मात्रा से कम है।

उदाहरण के लिए, एक बैंक ने 5,000 करोड़ रुपये ऑफर किया, इसमें से निगम पहले ही 3,000 करोड़ रुपये ले चुका है और 2,000 करोड़ रुपये चुकाए गए। ऐसे मामले में, इस बैंक से बकाया ऋण 1,000 करोड़ रुपये है इसलिए निगम इस बैंक से 4,000 करोड़ रुपये का लाभ उठा सकता है। यदि ब्याज दर लाभ की तारीख के अनुसार सबसे कम है।

(xvi) दरें (quotes) और अन्य सभी जानकारी भारतीय रुपये में प्रदान की जाती हैं।

(xvii) बैंकों के पास एमसीएलआर, रेपो या ट्रेजरी बिल दरों से जुड़ी दरों की पेशकश करने का विकल्प है:-

(क) **एमसीएलआर या रेपो लिंक्ड रेट पर कोट करने वाले बैंकों के लिए: -** बैंकों के पास एक निश्चित या फ्लोटिंग रेट को उद्धृत करने का विकल्प होता है, जिसे बैंक के एमसीएलआर या आरबीआई द्वारा अपनी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति में प्रकाशित प्रचलित रेपो रेट से जोड़ा जाएगा। साथ ही एमसीएलआर/रेपो दर पर स्प्रेड, यदि वे चाहें तो प्रभावी ब्याज दर पर पहुंचने के लिए, जिस पर एसटीएल के लिए प्रस्ताव को भाखानि तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) **<u>ट्रेजरी बिल लिंक्ड दरों पर कोट करने वाले बैंकों के लिए</u>**: - बैंकों को टी-बिल से जुड़ी **निश्चित दरें** उद्धृत करनी होंगी। जो बैंक टी-बिल से जुड़े एसटीएल की पेशकश करना चाहते हैं, उनके लिए प्रासंगिक बेंचमार्क **फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में प्रकाशित (FBIL)** टी-बिल रेट होगा। साइट पर ऋण संवितरण तिथि के ठीक पहले के कारोबारी दिन पर यदि तत्काल पूर्ववर्ती तिथि पर एफबीआईएल दर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे पूर्ववर्ती दिन से पहले एफबीआईएल साइट पर उपलब्ध नवीनतम दर को प्रासंगिक दर के रूप में लिया जाएगा।

ऐसे मामलों में जहां बैंक के आंतरिक दिशानिर्देश एफबीआईएल वेबसाइट पर प्रकाशित दर के साथ संरेखित टी-बिल दर की अनुमति नहीं देते हैं, बैंक ऐसी दर उद्धृत कर सकता है, बशर्ते कि यह निश्चित हो और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो। उक्त टी-बिल बेंचमार्क, जिससे उद्धृत टी-बिल दर जुड़ी हुई है, को बीओक्यू के कॉलम 8 में सार्वजनिक डोमेन के यूआरएल/वेब पते के साथ स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। ऐसे मामलों के लिए, सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नवीनतम दर को प्रासंगिक दर माना जाएगा। इस संबंध में किसी भी टिप्पणी के अभाव में, टी-बिल पर उद्धृत दरों को एफबीआईएल से जुड़ा हुआ माना जाएगा।

तथापि, बैंक को केवल एक बेंचमार्क अर्थात एमसीएलआर, रेपो दर या ट्रेजरी बिल दर से जुड़ी अपनी दर को उद्धृत करना चाहिए और भाखानि द्वारा लागू बेंचमार्क यानी एमसीएलआर, रेपो दर या ट्रेजरी बिल दर में फैले खाते को ध्यान में रखते हुए प्रभावी दर पर काम किया जाएगा। एक से अधिक दर कोट करने वाले बैंकों की बोली को अमान्य बोली माना जाएगा।

(xviii) बैंक बोली जमा करते समय बीओक्यू के कॉलम 7 में स्पष्ट रूप से इंगित कर सकते हैं कि क्या प्रस्तावित दर एक निश्चित दर है या फ्लोटिंग दर है, जिसमें विफल रहने पर प्रस्तावित ऋण को फ्लोटिंग दर ऋण के रूप में माना जाएगा। फ्लोटिंग और फिक्स्ड दरों का अर्थ नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा, जब तक कि बैंकों द्वारा अलग-अलग व्याख्या न की जाए और बीओक्यू के कॉलम 8 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट न किया गया हो।

1) **<u>फ्लोटिंग रेट:-</u>** बैंक के एमसीएलआर या रेपो रेट में किसी भी तरह के बदलाव के साथ, फ्लोटिंग रेट कोट करने वाले बैंकों के संबंध में लोन के लिए प्रभावी ब्याज दर भी तदनुसार बदल जाएगी। दूसरे शब्दों में, फ्लोटिंग दर की पेशकश करने वाले बैंकों को संबंधित बेंचमार्क एमसीएलआर/रेपो दर में किसी भी बदलाव के साथ निविदा के प्रति अप्रयुक्त और वितरित ऋण के लिए एमसीएलआर/रेपो दर को रीसेट करना होगा।

2) **<u>निर्धारित दर</u>**:- निर्धारित दर पर प्रस्तावित ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर (एमसीएलआर/रेपो/ट्रेजरी बिल दर + स्प्रेड) को मौजूदा एमसीएलआर/रेपो/ट्रेजरी बिल दर पर ऋण के प्रत्येक संवितरण को पूरे कार्यकाल के लिए फ्रीज कर दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, यदि संवितरण किश्तों में होता है, तो प्रभावी ब्याज दर उस विशेष किश्त के संवितरण की तारीख पर प्रचलित एमसीएलआर/रेपो/ट्रेजरी बिल दर पर आ जाएगी और पूरे कार्यकाल के लिए तय की जाएगी। इस प्रकार एमसीएलआर/रेपो/ट्रेजरी बिल दर में परिवर्तन होने पर प्रत्येक किश्त में ब्याज दर भिन्न हो सकती है। तथापि, यदि बैंक द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत करने का आंतरिक दिशानिर्देश उपरोक्त व्याख्या के विपरीत है, तो इसे बीओक्यू के कॉलम 8 में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। इस संबंध में किसी भी टिप्पणी के अभाव में, 'निर्धारित दर' की व्याख्या को उपरोक्त शर्त के अनुसार माना जाएगा।

(xix) बैंक BOQ.xls फ़ाइल के कॉलम 4 के अंतर्गत संबंधित लाइनों में लागू एमसीएलआर/रेपो/ट्रेजरी बिल दर इंगित कर सकता है। स्प्रेड, यदि कोई हो, को उद्धृत करने के इच्छुक बैंक, BOQ.xls फ़ाइल के कॉलम 5 के अंतर्गत इसे इंगित कर सकते हैं।

(xx) तीन महीने की परिपक्वता का आशय होगा कि ऋण की परिपक्वता अवधि 3 कैलेंडर महीने की होगी। उदाहरण के लिए, दिनांक 05.06.2021 को वितरित 3 माह का परिपक्वता ऋण दिनांक 04.09.2021 को परिपक्व होगा। उपरोक्त ऋण की मूल चुकौती दिनांक 05.09.2021 को की जाएगी। हालांकि, यदि बैंक द्वारा अपनी बोली प्रस्तुत करने का आंतरिक दिशानिर्देश उपरोक्त व्याख्या के प्रतिकूल है, तो निर्धारित परिपक्वता तिथि से 2 दिनों तक की परिपक्वता तिथि में विचलन पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते यह कि कॉलम 9 के अंतर्गत बीओक्यू में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। इस संबंध में किसी भी टिप्पणी के न होने पर, मूलधन की चुकौती उपरोक्त शर्तों के अनुसार की जाएगी।

(xxi) यदि कोई बैंक, जिसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है, ऋण राशि का संवितरण करने में विफल रहता है, तो भारतीय खाद्य निगम के पास चूककर्ता बैंक के जोखिम और लागत पर किसी अन्य बैंक से अवितरित ऋण राशि प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है और इस खाते में भारतीय खाद्य निगम को हुई किसी भी हानि की वसूली चूककर्ता बैंक से की जाएगी।

(xxii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत प्रभावी ब्याज दर को कम करने के लिए निगम किसी भी निविदादाता के साथ बातचीत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(xxiii) यदि बोली खुलने के दिन अवकाश होता है, तो बोली अगले कार्य दिवस को पूर्वनिर्धारित समय पर खोली जाएगी।

(xxiv) रेपो रेट लिंक्ड फ्लोटिंग लोन के मामले में, रीसेट तिथि आरबीआई द्वारा घोषित प्रभावी तिथि से लागू होगी।

(xxv) **शॉर्ट टर्म लोन के अंतर्गत सभी बैंक उधारों को मैसर्स इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च लिमिटेड द्वारा IND A1+ के रूप में रेट किया गया है।**

(xxvi) दिनांक 15.06.2017 सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर जारी बाद के संशोधनों और अपडेट के साथ पठित बोलियां आमंत्रित की जा रही और लागू सीमा तक इसका बोलीदाताओं द्वारा पालन किया जाना है, ऐसा न करने पर बोली अमान्य हो जाएगी।

(xxvii) बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 144 (xi) के प्रावधानों के बाद के संशोधनों और अद्यतनों के साथ लागू सीमा तक पालन किया जाता है और इस खाते में किसी भी विफलता के मामले में, बोली शून्य हो जाएगी।

(xxviii) <u>अप्रत्याशित घटना</u>

करार का कोई भी पक्ष इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निस्पादन को निलंबित करने या बहाने का पात्र होगा, इस सीमा तक कि ऐसा निस्पादन किसी भी घटना या परिस्थितियों से प्रभावित होता है जो प्रभावित पार्टी के उचित नियंत्रण से परे है; जिसे ऐसा पक्ष इस करार के कार्यान्वयन के संबंध में उचित कौशल और देखभाल के प्रक्रिया से रोका या यथोचित रूप से दूर नहीं कर सकता था; जो इस तरह के पार्टी की लापरवाही या इस तरह की पार्टी की विफलता के परिणामस्वरूप अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है; जो अक्षम प्रकृति और गंभीर परिमाण के हैं और इस अनुबंध के तहत प्रभावित पक्ष के दायित्वों पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इस तरह की घटना से प्रभावित होने का दावा करने वाली पार्टी, अप्रत्याशित घटना के बारे में जागरूक होने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, इस तरह की अप्रत्याशित घटना की सूचना अन्य पार्टी को लिखित रूप में देगी, इस तरह की अप्रत्याशित घटना की शुरुआत और अनुमानित समाप्ति की तारीखें और करार के अंतर्गत पार्टियों के दायित्व पर इसके प्रभाव शामिल हैं।

(xxix) <u>अनुबंध और विवाद समाधान को शासित करने वाले कानून</u>

करार कुछ समय के लिए भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा। इस करार से होने वाले किसी भी विवाद को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में निपटाया जाएगा। दिल्ली के न्यायालयों के पास अनुबंध के तहत होने वाले विवादों का न्याय करने का विशेष क्षेत्राधिकार होगा। सीपीएसई आदि के बीच यदि कोई हो ,विवादों को डीपीई द्वारा स्थापित सीपीएसई विवादों (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से दिनांक 22 मई, 2018 के ओएम संख्या 4(1)2013-डीपीई(जीएम)/एफटीएस-1835 बाद के संशोधनों के साथ पठित के माध्यम से निपटाया जाएगा। उक्त ओएम और इसके संशोधनों को करार के रूप में पढ़ा जाए।

(किसी भी विवाद/गलत व्याख्या के मामले में, निविदा दस्तावेज के अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।)

ऑनलाइन बोली जमा करने के निर्देश:

निविदा दस्तावेज सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (URL:**http://eprocure.gov.in**) पर प्रकाशित किया गया है।
बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों का उपयोग करते हुए, सीपीपी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट कॉपी जमा करानी होगी। नीचे दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने में सहायता करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने के लिए हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है:

पंजीकरण
1) बोलीदाताओं को सीपीपी पर "क्लिक हियर टू एनरोल" लिंक पर क्लिक करके सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (यूआरएल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है जो पोर्टल नि:शुल्क है।

2) नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीदाताओं को एक यूनिक यूजर नेम चुनना होगा और अपने खातों के लिए एक पासवर्ड निर्दिष्ट करना होगा।

3) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर दर्ज करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी पत्राचार के लिए किया जाएगा।

4) नामांकन होने पर, अपने प्रोफाइल सहित बोलीदाताओं को सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (श्रेणी II या श्रेणी III के प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ) (उदाहरण के लिए सिफ्ट '/ टीसीएस / एनकोड / ईमुद्रा इत्यादि) पंजीकृत करने जरूरी होंगे।

5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी को दूसरों को नहीं देते हैं जिससे दुरुपयोग हो सकता है।

6) तत्पश्चात बोलीदाता अपने यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके फिर सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से साइट पर लॉग इन करें।

निविदा दस्तावेजों का पता लगाना

1) सीपीपी पोर्टल में विभिन्न सर्च विकल्प बनाए गए हैं, जिससे बोलीदाताओं को सक्रिय निविदाओं को कई मापदंडों द्वारा पता लगाने में सुविधा हो। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए एडवांस्ड सर्च का एक विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता कई सर्च मापदंडों को जैसे संगठन का नाम, अनुबंध का रूप, स्थान, दिनांक, अन्य कीवर्ड आदि सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित एक निविदा की सर्च के लिए जोड़ सकते हैं।

2) एक बार जब बोलीदाताओं ने निविदा का चयन कर लिया है, तो वे आवश्यक दस्तावेज/निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा को संबंधित 'माई टेंडर्स' फोल्डर में ले जाया जा सकता है। यह सीपीपी पोर्टल को निविदा दस्तावेज में कोई शुद्धिपत्र जारी होने की स्थिति में एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से बोलीदाताओं को सूचित करने में सक्षम बनाएगा।

3) यदि वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को दी गई विशिष्ट निविदा आईडी को नोट करना चाहिए।

बोलियों की तैयारी

1) बोलीदाता को अपनी बोली जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज पर प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।

2) बोली के भागस्वरूप प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को समझने के लिए कृपया निविदा विज्ञापन और निविदा दस्तावेज को ध्यान से देखें।

3) बोलीदाता, निविदा दस्तावेज/अनुसूची में बताए अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेज अग्रिम रूप से तैयार कर लें और सामान्यतया, वे पीडीएफ/एक्सएलएस/आरएआर/डीडब्ल्यूएफ प्रपत्रों में हो सकते हैं। बोली दस्तावेजों को ब्लैक एंड व्हाइट विकल्प के साथ 100 डीपीआई के साथ स्कैन किया जा सकता है।

4) मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में आवश्यक समय और प्रयास से बचने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के भागस्वरूप प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, बोलीदाताओं को दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान प्रदान किया गया है। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए उनके पास उपलब्ध "माई स्पेस" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "माई स्पेस" क्षेत्र से जमा किया जा सकता है, और बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली जमा करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय में कमी आएगी।

बोलियां जमा करना

1) बोलीदाता को बोली जमा करने के लिए काफी पहले ही साइट पर लॉग इन कर लेना चाहिए ताकि वह बोली को समय पर यानी बोली जमा करने के समय पर या उससे पहले अपलोड कर सके। अन्य समस्या के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।

2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में दर्शाए अनुसार एक-एक करके आवश्यक बोली दस्तावेजों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और अपलोड करना होगा।

3) सभी बोलीदाताओं द्वारा भरे जाने वाले निविदा दस्तावेज के साथ एक मानक बीओक्यू फार्मेट प्रदान किया गया है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे नोट करें कि वे आवश्यक रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में अपनी वित्तीय बोलियां जमा करें और कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है। बोलीदाताओं को बीओक्यू फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, इसे खोलना होगा और सफेद रंग (असुरक्षित) सेल को उनके संबंधित वित्तीय उद्धरण और अन्य विवरण (जैसे बोलीदाता का नाम) के साथ पूरा करना होगा। कोई अन्य सेल नहीं बदला जाना चाहिए। एक बार विवरण पूरा हो जाने के बाद, बोलीदाता को फ़ाइल नाम बदले बिना इसे सेव करना चाहिए और इसे ऑनलाइन जमा करना चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा बीओक्यू फ़ाइल को संशोधित पाया जाता है, तो बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4) सेवा समय (जो बोलीदाताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) को बोलीदाताओं द्वारा बोली जमा करने, बोलियों को खोलने आदि की समय सीमा को संदर्भित करने के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली जमा करने के दौरान इस समय का पालन करना चाहिए।

5) डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को पीकेआई एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खुलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है।

6) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज अधिकृत बोली खोलने वालो द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य होते हैं।

7) बोलियों को सफलतापूर्वक और समय पर प्रस्तुत करने पर, पोर्टल एक सफल बोली प्रस्तुत करने का संदेश देगा और बोली संख्या और अन्य सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ बोली जमा करने की तारीख और समय के साथ एक बोली सारांश प्रदर्शित किया जाएगा।

8) बोली सारांश प्रिंट किया जाए और बोली जमा करने की पावती के रूप में रखा जाए । इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने की बैठक के लिए प्रवेश पास के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

बोलीदाताओं को सहायता

1) निविदा दस्तावेज और उसमें निहित निबंधन और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को श्री के॰ के॰ पालीवाल, मुख्य महाप्रबंधक (निधि) दूरभाष: 011-43527592 को संबोधित किया जाना चाहिए।

2) ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क को निर्देशित किया जा सकता है। हेल्पडेस्क के लिए संपर्क नंबर 0120-4001002, 0120-4001005, 0120- 4493395 है।